

न्यायालय जिला कलक्टर, झालावाड़

मि०न० 15 / प्रा०पत्र/21

सरकार

बनाम

रामेश्वर आ० उदा नि० नाथूखेड़ी पोस्ट कोहाडिया जिला
शाजापुर हाल जिला आगर(म०प्र०)



कार्यवाही अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, प्रथम
सूचना क्रमांक 120/21 थाना घाटोली, जुर्म दफा 3/7
आवश्यक वस्तु अधिनियम व बीज नियन्त्रण आदेश 1983
क्लाज- 13

प्रा०पत्र अन्तर्गत धारा 451 जा०फो० बाबत सुपुर्दगी दिये जाने
पिकअप- 407 एम०पी०13 जी०ए० 2490

नाथू

दिनांक 6.7.2021

प्रा०पत्र जर्गे अभिभाषक प्रस्तुत किया गया। प्रा०पत्र में प्रार्थी द्वारा
अनुरोध किया गया है कि दिनांक 25.06.2021 को कृषि अधिकारी फसल एवं बीज
निरीक्षक झालावाड़ द्वारा प्रार्थी के वाहन पिकअप 407 नम्बर एम.पी. 13 जीए 2490
को सोयाबिन सहित जब्त कर थाना घाटोली में मुकदमा न० 120/2021 दर्ज कराया
गया है। प्रकरण में प्रार्थी को भी गिरफ्तार किया गया था जिस पर मुख्य न्यायिक
मजिस्ट्रेट, झालावाड़ से प्रार्थी की जमानत हुई है। प्रार्थी सुपुर्दगीदार उक्त वाहन का
रजिस्टर्ड स्वामी है तथा उक्त वाहन प्रार्थी का रोजगार का जरिया है। प्रार्थी का
उक्त जब्त सोयाबिन से कोई सम्बन्ध नहीं है, किसानों ने नलखेड़ा से सोयाबिन की
खरीद की थी तथा प्रार्थी के वाहन से लोडिंग करवाकर उनके गांव ले जा रहे थे।
प्रकरण में जब्त वाहन को अन्तरिम सुपुर्दगी में दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

हमने अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा०पत्र का अवलोकन किया।
प्रार्थी द्वारा प्रा०पत्र अन्तर्गत धारा 451 Crpc के तहत वाहन पिकअप 407 नम्बर
एम.पी. 13 जीए 2490 सुपुर्दगी बाबत न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया
गया है। वाहन 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत थाना घाटोली में दर्ज
प्राथमिकी 120/2021 के परिणाम स्वरूप जब्त है। इस प्रकार धारा 451 Crpc
के तहत उक्त प्रा०पत्र न्यायालय हाजा में पेण्डिंग नहीं है। धारा 451 Crpc
Disposal of property pending trial cases में क्रिमिनल कोर्ट को ही अधिकार है।
इसी क्रम में यह भी ध्यान में लाया गया है कि प्रकरण में प्रार्थी को भी गिरफ्तार
किया गया था जिस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड़ से प्रार्थी की जमानत हुई
है। उपरोक्त विवेचन से इस प्रा०पत्र के माध्यम से प्रार्थी को किसी तरह का
अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता अतः प्रा०पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता
है। प्रा०पत्र बाद दर्ज रजिस्टर फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील
दाखिल दफतर हो।

जिला कलक्टर

झालावाड़
जिला कलक्टर
झालावाड़